तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
22/5/17	पत्रावली आज बमुकाम कैम्प ग्राम पंचायत सालवा कलां पेश हुई। प्रकरण के पक्षकार श्री रामलाल S/o श्री छीदाराम एवं श्री नन्दूराम S/o श्री गिरधारीराम स्वयम् उपस्थित।
नन्दूराम	पक्षकारान की श्रुत पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध बयानात्मा जो पक्षकार नम्बर-2 रामेश्वर ने पक्षकार संख्या-1 नन्दूराम के पक्ष में तहरीर एवं तसदीक किया है उसके खसरा नम्बर 335/2 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा में से रामेश्वर ने अपना सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा ग्राम अर्थात् 5 बीघा 13 बिस्वा 5 बिस्वांसी कृषि भूमि नन्दूराम को विक्रय किया गया है।
	प्रकरण के पक्षकारान द्वारा जाहिर तथ्य कि विवादित भूमि का बंटवारा किया हुआ नहीं है, जो सम्पत्ति अधिशेष ग्राम पंचायत सालवा कलां की जमाबंदी सम्वत 2061-2064 से स्पष्ट होता है।
	हमारी विनम्र राय में चूंकि इस प्रकरण में जो विक्रय किया गया है उसमें विवादित भू-भाग के चौहद्दी अंकित कर बगैर बंटवारा करवाये विशेष भू-भाग विक्रय किया जाना बचुवी प्रकट है। पूर्व आदेशों का दिनांक 12-11-2007 के द्वारा जो अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अगली सुनवाई तक दूसरे अपर की जारी की जाती है कि मौजा सालवा कलां के ख० नं० 335/2 रकबा 22 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर अभयनी तौर विवादित आराजी

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

(8)

AAP-A Conv.

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम _____

बनाम _____

नं. _____ सन् _____

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
के विशेष भू-भाग पर बंटवारा करवाये बिना कब्जा नहीं करे के आदेश पूर्णतया निष्क्रिय अवैध पाये जाने से अभयनी तौर की तामीलात मूल वाद विवादित आराजी के विशेष भू-भाग पर बगैर बंटवारा करवाये कब्जा नहीं किये जाने हेतु पाबंद किया जाता है।	
	आदेश आज दिनांक 22-5-2017 को बमुकाम कैम्प ग्रा० पं० सालवा कलां खुले आम लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद पत्रावली के सलग्न हो।

22/5/17

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) जोधपुर

Scanned by CamScanner